प्रेषक,

सोमनाथ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभागाध्यक्ष),
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 23 दिसम्बर, 2024**

विषय:-जनपद वाराणसी में शिवपुर लहरतारा (फुलवरिया) फोर लेन मार्ग के संरेखण में उपयोग होने वाली रक्षा विभाग की भूमि अध्याप्ति के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-493 एल0ए0/2024, दिनांक 24.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में शिवपुर लहरतारा (फुलवरिया) फोर लेन मार्ग के संरेखण में उपयोग होने वाली रक्षा विभाग की भूमि का कुल क्षेत्रफल 0.3744 हे0 की पुनरीक्षित लागत रू0 815.44 लाख (रूपये आठ करोड़ पन्द्रह लाख चौवालीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय प्रशासकीय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(8) प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024-25 में भूमि अध्याप्ति के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1330-प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था-60-भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-485-एक्स-2024-25, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- संबंधित मण्डलायुक्त।
4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वेब अधिकारी प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8 उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।